न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री बिजेन्द्रसिंह, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
47 / 2024	दावा 53 RTA	13.05.2024	11.11.2024

1. अनिल कुमार जोशी पुत्र श्री सत्यनारायण जोशी निवासी ढाढरिया बणीरोतान तहसील व जिला चूरू (राजस्थान)
2. श्याम सुन्दर जोशी पुत्र श्री सत्यनारायण जोशी निवासी ढाढरिया बणीरोतान तहसील व जिला चूरू (राजस्थान)
3. सुनील कुमार जोशी पुत्र श्री सत्यनारायण जोशी निवासी ढाढरिया बणीरोतान तहसील व जिला चूरू (राजस्थान)

...........वादीगण

बनाम

1. कौशल्या पुत्री श्री नोरंगराम जाति ब्राहमण निवासी नाकरासर तहसील व जिला चूरू (राज)
2. भंवरी पुत्री श्री नोरंगराम जाति ब्राहमण निवासी नाकरासर तहसील व जिला चूरू (राज)
3. शांति पुत्री श्री नोरंगराम जाति ब्राहमण निवासी नाकरासर तहसील व जिला चूरू (राज)
4. राधेश्याम पुत्र श्री नोरंगराम जाति ब्राहमण निवासी नाकरासर तहसील व जिला चूरू (राज)
5. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गोगासर तहसील रतनगढ जिला चूरू (राज) जरिये शाखा प्रबंधक
6. पंजाब नेशनल बैंक (ऑरियन्टल बैंक) शाखा स्टेशन रोड, चूरू (राज) जरिये शाखा प्रबंधक
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू (राज)

–प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए.

उपस्थित – 1. अधिवक्ता श्री दीपक कुमार स्वामी वादीगण

निर्णय

1. वादीगण की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. का प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 के कब्जा, काश्त ... भूमि वाके रोही ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:25:57 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

ढाढरिया बणीरोतान तहसील व जिला चूरू में स्थित चली आ रही है। जिसके वर्तमान खाता संख्या 37 व पुराना खाता संख्या 37 है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 325 तादादी 16.6932 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल तादादी 16.6932 हैक्टेयर वाके रोही ढाढरिया बणीरोतान तहसील व जिला चूरू में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है, जिसमें वादी संख्या 01 का 1/7 हिस्सा, वादी संख्या 02 का 1/7 हिस्सा, वादी संख्या 03 का 1/7 हिस्सा कृषि भूमि की खातेदारी है एवम् प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 की भी 1/7, 1/7 हिस्सेदारी है। प्रमाण स्वरूप जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 की प्रमाणित प्रतिलिपी दावा हाजा के साथ पेश है।

2. यहकि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 325 तादादी 16.6932 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल तादादी 16.6932 हैक्टेयर वाके रोही ढाढरिया बणीरोतान तहसील व जिला चूरू, वादीगण द्वारा जरिये विक्रय पत्र दिनांक 27.03.2023 से मूल खातेदारान श्रीमति गीता धर्म पत्नी नोरंगराम, मदनलाल पुत्र नोरंगराम, श्रीमति मोहनी पुत्री नोरंगराम जाति ब्राहमण निवासीगण ग्राम नाकरासर तहसील व जिला चूरू से उनके हिस्से की समस्त भूमि खरीद की गयी थी, तथा मौके पर कब्जा वादीगण का करवा दिया गया था, जिस पर वर्तमान में वादीगण काबिज व काश्त करते चले आ रहे है।
3. यहकि कृषि भूमि खसरा नम्बर 325 तादादी 16.6932 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल तादादी 16.6932 हैक्टेयर वाके रोही ढाढरिया बणीरोतान तहसील व जिला चूरू में स्थित है। उक्त भूमि की किश्म व उपजाऊपन की प्रकृति के हिसाब से राजस्व मण्डल के नियम के अनुसार प्रत्येक सहखातेदार के हिस्से की भूमि का विभाजन कानून सम्मत है। मौके पर कब्जा व काश्त बाहमी बंटवारे के अनुसार उक्त कृषि भूमि के पश्चिम दिशा में रास्ते की तरफ वादीगण का 1/7, 1/7, 1/7 हिस्सा स्थित चला आ रहा है। इसी आधार वादीगण के हिस्से की भूमि का विभाजन अच्छी व बुरी किस्म के आधार पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जाना न्यायोचित है।
4. **यहकि** उक्त कृषि भूमियों में वादीगण एवं प्रतिवादी सं 01 ता 04 के मध्य वादगत कृषि भूमि का अभी तक विधिवत विभाजन नही हुआ है। उक्त कृषि भूमि अविभाजित चली आ रही है। इस कारण हिस्साकसी को लेकर तथा सीमांकन को लेकर पक्षकारों में विवाद रहता है और भविष्य में विवाद बढ़ने का अन्देशा है। प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से की भूमि को बिना विभाजन करवाये ही उक्त कृषि भूमियों को विक्रय करने पर आमादा है, बिना विभाजन उक्त कृषि भूमियों को विक्रय किया जाता है, तो वादीगण के हितो पर विपरीत असर पड़ेगा, इसलिए वादीगण के लिए यह आवश्यक हो गया

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:25:57 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

है कि वो अपने हिस्से की कृषि भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अलग से ही खाता कायम करवा लेंवे।

5. **यहकि** वादीगण शान्ति प्रिय व्यक्ति हैं, जो अपने कब्जे व हिस्से की भूमि का काश्त करते है व काबिज चले आ रहे है और अपने हिस्से की भूमि को शान्ती पूर्ण तरीके से कब्जे में रखना चाहते है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने अपनी अपनी कृषि भूमि का बाहमी बंटवारा मौखिक तौर पर कर उसी के मुताबिक काश्त करते चले आ रहे है।

6. **यहकि** वादीगण अपने हिस्सा की भूमि का विभाजन करवाना चाहते हैं। वादीगण ने प्रतिवादीगण को काफी बार कहा एवं कहलवाया कि वो साथ चलकर अपने–अपने हिस्से का सहमति से विभाजन करवा लेंवे। परन्तु प्रतिवादीगण वादीगण को हां हूँ करते रहे और आखिरकार दिनांक 26.04.2024 को सहमति से विभाजन कराने से साफ इन्कार हो गये। इसलिए यही इस दावे का वाद कारण है और वादीगण उक्त कृषि भूमि में हिस्सेदार, सह खातेदार, कब्जेदार होने के कारण उन्हे वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है।

7. **यहकि** दावा कृषि भूमि के विभाजन का है इसलिये तहसीलदार महोदय चूरू को तकमीलन पक्षकार प्रतिवादी संख्या 07 बनाया गया है, मगर दावा में सरकार के हितो पर प्रतिकूल असर डालने वाला कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है, इसलिये दावा पेश करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी का नोटिस दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादगत कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 05 ता 07 के यहां रहन रखी होने से उन्हे भी पक्षकार बनाया गया है।

8. **यहकि** वादगत कृषि भूमि वाके रोही ढाढरिया बणीरोतान तहसील व जिला चूरू में स्थित होने के कारण वाद श्रीमानजी के श्रवणाधिकार, क्षेत्राधिकार का है जिसकी मालियत 1000/–रूपये तय की जाकर निर्धारित न्याय शुल्क पर यह दावा अन्दर मियाद पेश किया जा रहा है।

अतः वाद वादीगण पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वाद बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण नीचे लिखे अनुसार डिक्री फरमाया जावे।

(क) कृषि भूमि खसरा नम्[illegible] हैक्टेयर कुल किता 01 कुल तादादी 16.6932 हैक्टेयर वाके रो[illegible] बणीरोतान तहसील व जिला चूरू में वादीगण सं[illegible] के अनुसार उक्त कृषि

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:25:57 IST
Reason: SelfAttested

46,
उप खण्ड अधिकारी
चूरू

भूमि के पश्चिम दिशा में रास्ते की तरफ स्थित वादीगण के 1/7, 1/7, 1/7 हिस्सा का इल उममजे दक इवनदक विभाजित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर नक्शा तरमीम व तकसीम किया जाकर अलग से पासबुक जारी की जावे।

(ख) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादी सं 01 ता 04 से दिलवाया जावे अन्य अनुतोष जो हितकर वादीगण हो या दौराने सुनवाई वाद हो जावे वो भी वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे। अन्य कोई अनुतोष जो हितकर वादीगण हो या हो जावे। वह भी वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें। श्रीमान्जी की बड़ी कृपा होगी।

दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 से 06 वा विधिवत तामील के बावजूद इनकी ओर से न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं आया इसलिए इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। गवाह के बयान लिये गये। प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई व अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। बहस में अधिवक्ता वादी ने दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वादीगण के हिस्से की भूमि का विभाजन किया जावे।

बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। दावे में वादीगण के 1/7, 1/7, 1/7 हिस्सा का बाई मीटस एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किये जाने का निवेदन किया है।

अधिवक्ता उभय पक्ष ने निवेदन किया कि दावा व जवाब दावा के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात को ही साक्ष्य माना जाकर बहस सुनी जावे जिस पर साक्ष्य वादी व प्रतिवादी बंद की जाकर बहस सुनी गई। जमाबंदी रोही ग्राम ढाढरिया बणीरोतान खसरा नम्बर 325 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 संयुक्त खातेदार काश्तकार है।

पत्रावली एवं दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त वादगत कृषि भूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 से 04 दर्ज खातेदार हैं। दावा वादीगण मात्र खाता विभाजन का है जिसमें वादगत कृषि भूमि के किसी भी खातेदार या हितबद्ध पक्षकार के खिलाफ कोई हानिकारक अनुतोष नहीं चाहा गया है। इसलिए वादीगण नियमानुसार अपने हिस्सों का खाता विभाजन करवा कर खाता व लगान कायम करवाने के अधिकारी हैं। वादगत कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है तथा वादीगण प्रतिवादीगण वादगत कृषि भूमि में हिस्सेदार खातेदार काश्तकार हैं इसलिए वादीगण नियमानुसार बाई मेट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर अपने--अपने हिस्से की भूमि का खाता विभाजन करवा कर अपना अलग खाता व लगान कायम करवाने के अधिकारी हैं। इस प्रकार दावा वादीगण स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:25:57 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी (राजस्थान)

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

निर्णय

अतः उपरोक्त विस्तृत विवेचना के आधार पर दावा वादीगण उचित होने से स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक रूप से डिकी किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि 325 रोही ग्राम ढाढरिया बणीरोतान खाता विभाजन बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर करके वादीगण के खाते व लगान अलग--अलग कायम करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, चूरू को कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना की जाकर रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उभय पक्ष की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करे। प्रारम्भिक डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बिजेन्द्रसिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी, चूरू
उप खण्ड अधिकारी
चूरू

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:25:57 IST
Reason: SelfAttested

प्रारम्भिक डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

ब इजलास : श्री बिजेन्द्रसिंह आर.ए.एस.

1. अनिल कुमार जोशी पुत्र श्री सत्यनारायण जोशी निवासी ढाढरिया बणीरोतान तहसील व जिला चूरू (राजस्थान)
2. श्याम सुन्दर जोशी पुत्र श्री सत्यनारायण जोशी निवासी ढाढरिया बणीरोतान तहसील व जिला चूरू (राजस्थान)
3. सुनील कुमार जोशी पुत्र श्री सत्यनारायण जोशी निवासी ढाढरिया बणीरोतान तहसील व जिला चूरू (राजस्थान)

...........**वादीगण**

बनाम

1. कौशल्या पुत्री श्री नोरंगराम जाति ब्राह्मण निवासी नाकरासर तहसील व जिला चूरू (राज)
2. भंवरी पुत्री श्री नोरंगराम जाति ब्राह्मण निवासी नाकरासर तहसील व जिला चूरू (राज)
3. शांति पुत्री श्री नोरंगराम जाति ब्राह्मण निवासी नाकरासर तहसील व जिला चूरू (राज)
4. राधेश्याम पुत्र श्री नोरंगराम जाति ब्राह्मण निवासी नाकरासर तहसील व जिला चूरू (राज)
5. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गोगासर तहसील रतनगढ जिला चूरू (राज) जरिये शाखा प्रबंधक
6. पंजाब नेशनल बैंक (ऑरियन्टल बैंक) शाखा स्टेशन रोड़, चूरू (राज) जरिये शाखा प्रबंधक

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू (राज) –प्रतिवादीगण–

–प्रतिवादीगण–

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए.

मुकदमा नं. 47 सन् 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसलाल [illegible] रूबरू हमारे हाजरी श्री दीपक कुमार स्वामी एडवोकेट वादीगण, [illegible] किया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:25:57 IST
Reason: SelfAttested

44/

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

दावा वादीगण उचित होने से स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि 325 रोही ग्राम ढाढरिया बणीरोतान खाता विभाजन बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर करके वादीगण के खाते व लगान अलग–अलग कायम करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, चूरू को कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना की जाकर रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उभय पक्ष की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करे।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 11 माह नवम्बर सन् 2024 को जारी की गई।

(बिजेन्द्रसिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी, चूरू
उप खण्ड अधिकारी
चूरू

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:25:57 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

ब इजलास : श्री बिजेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

1. अनिल कुमार जोशी पुत्र श्री सत्यनारायण जोशी जाति ब्राहमण निवासी ढाढरिया बणीरोतान तहसील व जिला चूरू (राजस्थान)
2. श्याम सुन्दर जोशी पुत्र श्री सत्यनारायण जोशी जाति ब्राहमण निवासी ढाढरिया बणीरोतान तहसील व जिला चूरू (राजस्थान)
3. सुनील कुमार जोशी पुत्र श्री सत्यनारायण जोशी जाति ब्राहमण निवासी ढाढरिया बणीरोतान तहसील व जिला चूरू (राजस्थान)

–वादी–

<u>बनाम</u>

1. कौशल्या पुत्री श्री नोरंगराम जाति ब्राहमण निवासी नाकरासर तहसील व जिला चूरू (राज)
2. भंवरी पुत्री श्री नोरंगराम जाति ब्राहमण निवासी नाकरासर तहसील व जिला चूरू (राज)
3. शांति पुत्री श्री नोरंगराम जाति ब्राहमण निवासी नाकरासर तहसील व जिला चूरू (राज)
4. राधेश्याम पुत्र श्री नोरंगराम जाति ब्राहमण निवासी नाकरासर तहसील व जिला चूरू (राज)
5. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गोगासर तहसील रतनगढ़ जिला चूरू (राज) जरिये शाखा प्रबंधक
6. पंजाब नेशनल बैंक (ऑरियन्टल बैंक) शाखा स्टेशन रोड़, चूरू (राज)
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू

–प्रतिवादीगण–

<u>दावा कृषि भूमि विभाजन अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए.</u>

मुकदमा नं. 47 सन् 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री दीपक कुमार स्वामी व श्री सुरेन्द्र राहड़ एडवोकेट वादी मिनजानिब मुदईब पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

तहसीलदार, चूरू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील उभयपक्ष की सहमति के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 325 तादादी 16.6932 हैक्ट. रोही ग्राम ढ़ाढ़रिया बणीरोतान तहसील चूरू की कृषि भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी का खाता विभाजन निम्नानुसार किया जाकर खाते व लगान अलग–अलग कायम करने का आदेश दिया जाता है:–

क्र.सं.	नाम खातेदार मय विवरण	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में	किस्म भूमि
1.	अनिल कुमार जोशी पुत्र सत्यनारायण [illegible] 1/3 हिस्सा, श्याम सुन्दर जोशी पुत्र [illegible] 1/3 हिस्सा, सुनिल कुमार [illegible] जोशी 1/3 हिस्सा जाति ब्राहमण नि. [illegible] बणीरोतान खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) स[illegible] बैंक ऑफ इंडिया शाखा गोगासर	325 मिन	7.1258 हैक्ट.	बारानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:25:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

2.	कौशल्या पुत्री नोरंगराम 1/4 हिस्सा जाति ब्राहमण सा. नाकरासर राहिन (पूर्ण हिस्सा) पंजाब नेशनल बैंक शाखा स्टेशन रोड़, चूरू, भंवरी पुत्री नोरंगराम 1/4 हिस्सा जाति ब्राहमण निवासी नाकरासर, राधेश्याम पुत्र नोरंगराम 1/4 हिस्सा जाति ब्राहमण निवासी नाकरासर राहिन (पूर्ण हिस्सा) ओबीसी शाखा चूरू शान्ति पुत्री नोरंगराम 1/4 हिस्सा जाति ब्राहमण निवासी नाकरासर राहिन (पूर्ण हिस्सा) पंजाब नेशनल बैंक शाखा स्टेशन रोड़ चूरू खातेदार	325 मिन	9.5010 हैक्ट.	बारानी
3.	गै. मु. रास्ता	325 मिन	0.0664 हैक्ट.	गै.मु.रा.

जिस खातेदार का हिस्सा बैंक के रहन है, वह यथावत् रहन रहेगा। तहसीलदार, चूरू को डिक्री के अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 20 माह जनवरी सन् 2025 को जारी की गई।

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राज.)

(बिजेन्द्र सिंह) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:25:57 IST
Reason: SelfAttested